ई-मेल

संख्या- 558 /नौ-7-2023-15 (ज)/2023

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय परिवहन निदेशालय,
उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2023**

विषयः अयोध्या, फिरोजाबाद एवं सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत एस0पी0वी0 का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-743(1)यू.टी.डी./23-265यू.टी.डी./19, दिनांक 12.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र में किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरांत सहारनपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत उक्त तीनो शहरो में एक-एक स्पेशल पर्पज व्हेकिल (एस.पी.वी.) का गठन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

(1) प्रत्येक शहर (अयोध्या, फिरोजाबाद एवं सहारनपुर) में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज प्रा०लि० नाम से पृथक्-पृथक् एक एसपीवी का गठन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 07 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत किया जायेगा। प्रत्येक एस.पी.वी. की अथराईज्ड कैपिटल रू0 10,00,000.00 (रू. दस लाख) मात्र 100 रू0 प्रति शेयर की दर से निर्धारित किया जाता है।

(2) कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत एस०पी०वी० के पंजीकरण हेतु उक्त शहरों के एसपीवी कम्पनी हेतु निम्नानुसार पेड-अप कैपिटल का निर्धारण रू. 1.00 लाख करते हुए निम्नलिखित निदेशको/सदस्यों द्वारा 100 रू0 प्रति शेयर की दर से निम्नांनुसार शेयर का आवंटन किया जाता हैः-

क्र0सं०	निदेशक/सदस्य के पद नाम	निदेशक/सदस्य	शेयर की संख्या
1	संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त	अध्यक्ष निदेशक	992
2	निदेशक,नगरीय परिवहन निदेशालय	निदेशक	02
3	जिलाधिकारी	सदस्य	01
4	उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण	सदस्य	01
5	एस.एस.पी./पुलिस आयुक्त	सदस्य	01
6	नगर आयुक्त	निदेशक	01
7	आर.टी.ओ.	निदेशक	01
8	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम	सचिव निदेशक	01

(3) एस०पी०वी० के गठन के बाद निदेशक मण्डल द्वारा कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक पद पर एक स्वतन्त्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ Chief executive office की नियुक्ति की जायेगी।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति होने तक संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम द्वारा CEO के कार्यों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

(5) उक्त प्रस्तावित एस०पी०वी० सरकारी कम्पनी होगी, जो कम्पनी एक्ट के सेक्शन-7 के अन्तर्गत प्राईवेट लि0 के रूप पंजीकृत होगी ।

(6) चालक/परिचालक/कार्यालय के कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए जा सकते हैं।

(7) उक्त कम्पनी को नगरों में बसें चलाने के लिए मार्ग निर्धारित करने का अधिकार होगा, जिस पर बस संचालन निदेशालय की अनुमति के उपरान्त किया जा सकेगा। इन मार्गों पर किराये के निर्धारण की स्वतन्त्रता इस कम्पनी के बोर्ड को रहेगी, ताकि वह वायबिलिटी के अनुसार किराये का निर्धारण कर सके।

(8) उक्त शहरों में एस0पी0वी0 का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 यथा संशोधित 2013 के अन्तर्गत कराये जाने हेतु पेडअप कैपिटल व आर्थराइज्ड कैपिटल निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र0सं0	**शहर का नाम**	**बसों की संख्या**	**एसपीवी गठन हेतु निर्धारित पेडअप कैपिटल**	**ऑथराइज्ड कैपिटल**
1-	अयोध्या	25	1.00 लाख/प्रति शेयर 100 रूपये	10.00 लाख/प्रति शेयर 100 रूपये
2-	फिरोजाबाद	25	1.00 लाख/प्रति शेयर 100 रूपये	10.00 लाख/प्रति शेयर 100 रूपये
3-	सहारनपुर	25	1.00 लाख/प्रति शेयर 100 रूपये	10.00 लाख/प्रति शेयर 100 रूपये

(9)अयोध्या, फिरोजाबाद एवं सहारनपुर में एस0पी0वी0 का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 यथा संशोधित 2013 के अन्तर्गत नगर निगम कार्यालय के पते पर निम्नवत् पंजीकृत कराया जायेगा:-

क्र0सं0	**शहर का नाम**	**एस0पी0वी0 का नाम**
1.	अयोध्या	अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0, अयोध्या
2.	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0, फिरोजाबाद
3.	सहारनपुर	सहारनपुर, सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0, सहारनपुर

2. अतः अनुरोध है कि कृपया शासन के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशेष सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/परिवहन विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या/फिरोजाबाद/सहारनपुर, उ.प्र.।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या/फिरोजाबाद/सहारनपुर, उ.प्र.।
5. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, अयोध्या/फिरोजाबाद/सहारनपुर, उ.प्र.।
6. एस.एस.पी./पुलिस आयुक्त, अयोध्या/फिरोजाबाद/सहारनपुर, उ.प्र.।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या/फिरोजाबाद/सहारनपुर, उ.प्र.।
8. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
10. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
11. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
18.07.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।